

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-36/2017/1657/37-1-2017-3(29)/2009टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

डा० सर्वेश कुमार द्विवेदी, सेवा निवृत्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग झांसी मण्डल झांसी के विरुद्ध वर्ष 2006 में झांसी मण्डल में पशुधन प्रसार अधिकारियों के विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन/भर्ती के लिये चयन मण्डल के अध्यक्ष के रूप में 25 पदों के सापेक्ष 27 पदों पर चयन की संस्तुति करने आदि आरोपों के लिये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-262/37-1-2010-3(29)/2009 दिनांक 20 जनवरी, 2010 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये निदेशक, पशुपालन विभाग को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- डा० सर्वेश कुमार द्विवेदी, के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या- 639/स्था०-3/53ए (149) दिनांक 29.06.2011 द्वारा प्राप्त हुयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत डा० सर्वेश कुमार द्विवेदी के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है, अतः एतद्वारा श्री राज्यपाल डा० सर्वेश कुमार द्विवेदी, सेवा निवृत्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग, झांसी मण्डल, झांसी के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

(डा० सुधीर एम० बोबडे)

प्रमुख सचिव

संख्या-36/2017/1657(1)/37-1-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र० लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग 30प्र० लखनऊ।
- 3- संबंधित अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव।